20.2.18	पत्रावली पेश हुयी। अपेलार्थी के अभिभावक गण उपस्थित। अपील प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम स्थगन हेतु अभिभावकों के अभिभाषक को सुना गया। अपीलार्थी अभिभाषक का कथन है कि विवादित आ.सं. नं. 109 के संबंध में पक्षकारों के बीच में चल रहे वाद का निर्णय दिनांक 2.6.2017 को हो चुका था तथा डिक्री की पालना भी की जा चुकी है जिसकी अपील रेस्पो द्वारा RAA अदालत में विचाराधीन है, परन्तु दूसरी तरफ तथ्यों को छिपाकर रेस्पो. मथुरा प्रसाद ने तहत अदालत में नया वाद पेश करके अन्तरिम स्थगन प्राप्त कर लिया है। तहत न्यायालय में जवाब भी पेश कर दिया किन्तु गलत तथ्यों के आधार पर दिये गये अन्तरिम स्थगन पर तहत न्यायालय ने बहस नहीं सुनी है अतः यहां अन्तरिम स्थगन की अपील पेश करनी पड़ी। अपील प्रार्थना पत्र के आधार पर तहत न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 5.12.17 का स्थगित करने की याचना की। रेस्पोंडेंट अभिभाषक ने जवाब में कहा कि अपीलार्थी इस स्टेज पर लाभ नहीं ले सकते हैं अधीनस्थ अदालत में ही बहस करनी चाहिए यहां अन्तरिम आदेश की अपील का कोई आधार नहीं है। तहत अदालत में दिनांक 28.2.17 को पत्रावली वास्ते बहस विचाराधीन है तथा आवेदन के अभिभाषक भी तहत अदालत में दिनांक 28.2.18 को बहस करने हेतु तैयार है। अतः पत्रावली में अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अधीनस्थ अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ अपने यहां पेश वाद मथुरा प्रसाद बनाम रामनिवास में पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 5.12.2017 पर अपेलार्थियों को आवश्यक रूप से सुनकर गुणावगुण पर अपना निर्णय पारित करे यदि किन्हीं कारणवश उक्त निर्धारित दिनांक 28.2.18 को सुनवाई नहीं हो सकती है तो एक सप्ताह की आगामी पेशी देकर अपीलार्थियों को सुना जावे।

8/2018

रामसिंह बनाम मथुरा प्रसाद

अपील 225 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: तहत अदालत अधिनस्थ कार्यवाही के / अपनाएं तहत अदालत में दिनांक 28/4/18 को वास्ते पुनरार्थ प्रार्थना पत्र 21 L RTAct उपस्थित हों। पत्रावली फैसल पुनः दाखिल होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) 20/4/18	